न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः– 78 / 2024

प्रार्थीगणः–

1. उकी पुत्री पूनमा जाति कुम्हार (प्रजापति)
2. केवलराम पुत्र मंगलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
3. केवलराम पुत्र भैराराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
4. गणपतलाल पुत्र नारायणलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
5. गिरधारी पुत्र पूनमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
6. गोपाल पुत्र पूनमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
7. गोमतीदेवी पत्नी नारायणलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
8. घेवरचन्द पुत्र मिश्राराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
9. घेवरराम पुत्र वागाराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
10. चैनाराम पुत्र मिश्राराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
11. जेठाराम पुत्र वागाराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
12. टीपूदेवी पत्नी मोहनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
13. तगाराम पुत्र पोकरराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
14. धनी पत्नी पूनमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
15. नेमाराम पुत्र मोहनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
16. पुखराज पुत्र मंगलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
17. प्रकाश पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
18. प्रभूराम पुत्र पूनमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
19. पारसमल पुत्र भेराराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
20. बंशीलाल पुत्र मिश्राराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
21. बाबूलाल पुत्र पोकरराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
22. भगाराम पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
23. भंवरलाल पुत्र भैराराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
24. भंवरलाल प्रजापत पुत्र नारायणलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
25. मदनलाल पुत्र नारायणलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
26. महेन्द्र कुमार पुत्र भैराराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
27. रम्भादेवी पत्नी भैराराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
28. रामाराम पुत्र चुन्नाराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
29. लक्ष्मण पुत्र मिश्राराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
30. लूणीदेवी पत्नी पेमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति)
31. वस्तीराम पुत्र मंगलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.09 17:38:18 IST
Reason: SelfAttested

32. विशनाराम पुत्र पोकरराम जाति कुम्हार (प्रजापति)

33. शंकरलाल पुत्र वागाराम जाति कुम्हार (प्रजापति)

34. सुगीदेवी पत्नी मिश्राराम जाति कुम्हार (प्रजापति)

35. सूजी पत्नी मंगलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति)

36. संतोष पुत्री पूनमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति)

37. सांवलराम पुत्र वागाराम जाति कुम्हार (प्रजापति)

38. हस्तीमल पुत्र मोहनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)

39. हरीराम पुत्र मिश्राराम जाति कुम्हार (प्रजापति)

40. हीरालाल पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति)

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा
2. प्रबन्धक उत्तर रेलवे रेल विभाग जोधपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1. श्री कैलाशपुरी वकील प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 14.11.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व गांव समदडी स्टेशन तहसील समदडी में खेत खसरा संख्या 209 के नये खसरा संख्या 1011/626 रकबा 9.7724 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1012/626 रकबा 0.9960 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है,वक्त सेटलमेन्ट खसरा संख्या 209 रकबा 85.07 बीघा भूमि में प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी गिरधारी,लुम्बा,चुना पिसरान भीखा व वागा पुत्र भूरा कौम कुम्हार के नाम दर्ज थी, विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आवश्यकता अनुसार ततसमय रकबा 02.13 बीघा भूमि आवप्त की गई जिस पर मूल खसरा संख्या 209 मे से 02.13 बीघा भूमि का अलग खसरा खसरा संख्या 209 व खसरा संख्या 209/1 रकबा 82.14 बीघा अलग खसरा संख्या बना, खसरा संख्या 209 विप्रार्थी संख्या 2 के नाम पर दर्ज हुआ जिस पर प्रार्थीगण के खेत से उक्त रकबा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बरंग लाल भूमि नक्शा ट्रेस [illegible] से मार्किंग की गई तथा उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 209/1 का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राज्य मार्ग संख्या 66 हेतु भूमि आवप्त किये जाने से उक्त खसरा का [illegible] खसरा 1012/626 रकबा 0.9960 हैक्टेयर बना व शेष खसरा संख्या 1011/626 रकबा 9.7726 हैक्टेयर व 1013/626 रकबा 2.3434 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुआ। खसरा संख्या 209 रकबा 2.13 बीघा का रेलवे विभाग द्वारा बाउन्ड्री तारबंदी कर मौके पर रेलवे

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.09 17:38:18 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

लाईन से लगती प्रार्थीगण के खेत में 650 फीट लम्बी व 70 फीट चौडी की तारबंदी कर रेल्वे का रकबा पूरा कर तरमीम करवा दी गई तथा उसी अनुसार नक्शा ट्रेस में इन्द्राज किया गया खसरा संख्या 209 का नवीन खसरा संख्या 627/209 बना, नजरी नक्शा परिशिष्ठ "अ" बरंग हरा भूमि पर प्रार्थीगण काश्त करते आ रहे है तथा बरंग लाल रेलवे की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 2 ने कभी भी कोई एतराज नहीं किया जो आज रोज मौजूद है,तहसील समदडी के सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व कर्मचारियो ने खसरा संख्या 627/209 की तरमीम करते समय रेलवे की भूमि का मौके पर कब्जा अनुसार कर प्रार्थीगण खेत के पूर्ण लम्बाई 1500 फीट लम्बी गलत तरमीम नक्शा ट्रेस में कर प्रार्थीगण के कब्जा की भूमि पर तरमीम बता दी जिस कारण विवाद उत्पन्न हो गया, विप्रार्थीगण को जानकारी होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थीगण को तंग परेशान करने की नियत से अवैध हरकते करते रहते है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का सही कब्जा काश्त अनुसार तरमीम कायम करने आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार समदडी से मौका रिपोर्ट तलबी की। तहसीलदार समदडी ने जरिये पत्र कमांक–भू.अ./2025/462 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार समदडी के रिपोर्ट अनुसार ग्राम समदडी स्टेशन तहसील समदडी के मूल खसरा संख्या 209 रकबा 85.07 बीघा गिरधारी लुम्बा पिता भीमा व वागा वल्द भूरा कौम प्रजापत के नाम दर्ज था,रेलवे विभाग द्वारा रकबा 02.13 बीघा भूमि आवप्त किये जाने से उक्त खसरे के दो खसरे बने खसरा संख्या 209 रेल्वे विभाग के व खसरा संख्या 209/1 खातेदारो के नाम दर्ज हुआ। रेलवे द्वारा आवप्त भूमि की तरमीम प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट"अ" अनुसार बरंग लाल व खातेदारो के हिस्से की भूमि की तरमीम परिशिष्ट "अ" में दर्शित बरंग हरा अनुसार की गई। परन्तु तहसील समदडी के सेग्रीगेशन के दौरान विवादित भूमियों की तरमीम त्रुटिपूर्ण कर दी गई। मौके पर प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 2 परिशिष्ट "अ" अनुसार ही काबिज काश्त है। विप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने की मौन स्वीकृत प्रतीत होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.09 17:38:18 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम समदडी स्टेशन तहसील समदडी के खसरा संख्या 1011/626 रकबा 9.7724 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1012/626 रकबा 0.9960 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1013/626 रकबा 2.3434 हैक्टेयर में विप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा संख्या 627/209 की

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

भूमि का ऑनलाईन नक्शा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को निरस्त कर प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। परिशिष्ट''अ''इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 14.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.09 17:38:18 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 13/04/2024 12:49:25 PM

ला : बाड़मेर

री हल्का : समदड़ी

तहसील : समदड़ी

ग्राम : समदड़ी स्टेशन

भू. अ. नि. क्षेत्र : समदड़ी

खसरा संख्या :627/209 क्षेत्रफल : 0.4290 Hectare खाता संख्या : 247पुराना खाता संख्या :211

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: गै.मू.रेलवे [0.4290]

1.) रेलवे विभाग के अन्तर्गत जमीने: उत्तर रेलवे N.R. हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

प्रतिवादी विभाग की भूमि खसरा 627/209
की भूमि
जिस पर वादीगण ने अतिक्रमण
किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.09 17:38:18 IST
Reason: SelfAttested